

**Report of Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of
O.A. No.-142/2022 in case of Jayant Kumar V/s MoEF & CC & Ors.**

Hon'ble NGT in the matter vide its order dated 28.02.2022 directed the following regarding factual position and action taken report of the areas situated on Gata No. 7536 Ga Mi (Khand No.1 & Khand No.3) both measuring in sequence as 4.970 Hectare & 4.00 Hectares in Villagae-Billi, Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonbhadra.

“.....Having regard to the seriousness of the allegation it appears necessary to ascertain the factual position in the matter through a joint committee of State PCB, SEIAA and District Magistrate, Sonbhadra (Uttar Pradesh). The State PCB will be nodal agency for coordination & compliance the Joint Committee may meet within four weeks and undertake site visit and look into the grievance of applicants. Factual and Action taken reports may be furnished within 3 months by email at judicial-ngt@gov.in in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF”

That, in compliance of order dated 28.02.2022 passed by this Hon'ble Tribunal, the following committee has been constituted:-

1. Sri Umesh Chandra Sharma, Member SEAC, Lucknow.
2. Dr. T.N. Singh, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra.
3. Sri Ashutosh Kumar Dubey, ADM (NGWRS), Sonbhadra.

That, the members of the nominated committee along with other personnel of the concerned department examined the official record of both mining leases on dated 27.04.2022 and thereafter paid the visit on the site of the both lease hold areas.

That, the report of the factual position of both areas are mentioned as under:-

1. That, the grievance of the applicant is that the mining was stalled on lease in violation of direction issued by Hon'ble Supreme Court in the case of Deepak Kumar Vs State of Haryana & Ors.(2012) 04 SCC 629



by breaking homogeneous blocks deliberately in smaller blocks to defeat the impact assessment of mining.

2. The Rule 10(1) of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 regarding extent of area for which a mining lease may be granted provides as under:-

"...10 (1) Extent of area for which a mining lease may be granted:-

(1) Minimum area for grant of a mining lease for sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in river shall ordinarily be five hectare and mineral found in the form of rock and not displaced from the place of its origin and other minor minerals shall be one hectare:

Provided that in case of non availability of such extent of area this sub rule shall not apply.

(2) No mining lease shall be granted in respect of any area which is not compact and contiguous or otherwise not suitable to scientific development:

Provided that in respect of small deposits not suitable to scientific mining in isolated patches, a Mining lease may be granted for a cluster of such deposits without any division.

(3) No person shall acquire in respect of any minor mineral, except sand or morram or bajri or boulder or any of these in mixed state exclusively found in river-bed, exceeding three mining lease, covering a total area of more than 25 Hectares:

Provided that mining leases in respect of sand or morrum or bajri or boulder or any of these in mixed state, exclusively found in the river bed exceeding two in number or total fifty Hectares in area shall not be granted in favour of any person in the State of Uttar Pradesh:

Provided further that if the State Government is of opinion that in the interest of mineral development, it is necessary so to do, it may for reasons to be recorded in writing permit any person to acquire one or more mining leases covering an area in excess of the limits mentioned above.

In response to the order of Hon'ble NGT dated 13.09.2018 in O.A. No. 186/2016, it has been mentioned in available documents of Mining Department, Sonbhadra that the referred leases were granted in the light of Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 as described above by the permission of District Magistrate, Sonbhadra vide letter No. 111/khanij/2018 dated 23.05.2018 to carved out the mining leases on Gatta no.7536 with other 03 Gattas as Gatta Nos. 4078, 4949 & 5593. As per order of District Magistrate, Sonbhadra, it has been directed to Mining Department, Sonbhadra to conduct detailed survey of available minerals in referred Gattas and be submitted. The detailed joint survey report had been submitted by the Geologist and Assistant Geologist, Mining Department, Sonbhadra vide its letter No. 267/Khanij/2018-19 dated 23.05.2018. In the referred survey report dated 23.05.2018, it was mentioned that Gatta No. 7536 had been carved out into 04 blocks of areas. However, out of the 04 mining blocks, the concerned blocks as Khand No. 01 & Khand No. 03 has been mentioned below:-

- A. Khand No. 01**-This Khand is situated between $24^{\circ}27'45.90''$ N to $24^{\circ}27'54.94''$ and $83^{\circ}01'57.00''$ to $83^{\circ}02'10.77''$. This area has abundant mineable minerals but due to unsystematic mining in the past, the topography of the area has become undulatory and accordingly the available mineable mineral is approximately 6,93,667 cubic meter.



B. Khand No.03-This Khand is situated between 24⁰27'34.68" N to 24⁰27'43.62" and 83⁰02'7.25" to 83⁰02'18.08" and contains 7,68,069 Cubic Meter mineable minerals.

As per report submitted by Mining Department, Sonbhadra, the tender was invited for e-auction of the above refereed 02 Blocks and other 02 as Khand No. 02 & Khand No. 04 and accordingly above concerned 02 blocks were allotted to M/s Sai Ram Enterprises, Village-Billi-Markundi, Obra, District-Sonbhadra (Khand No. 01) and M/s C.S. Infraconstruction, Village-Billi-Markundi, Obra, District-Sonbhadra (Khand No. 03).


Apart from those mentioned above, it has been mentioned in the revenue record that the Gatta No. 7536 has total area of 106.396 Hectare out of which 4.122 Hectare is private land, 60.1220 Hectare is Reserve Forest and rest area 42.1520 Hectare marked as 7536 Ga Mi is recorded in the name of PAHAD consisting of mineable minerals like Dolo Stone Boulders.

Khand No. 01 (Area-4.970 Hectares), Khand No. 02 (Area- 4.0 Hectares), Khand No. 03 (Area-4.0 Hectares) and Khand No. 04 (Area- 4.0 Hectares) are the parts of Gatta No. 7536 Ga Mi.(Area 42.1520 Hectare). Since this Gatta No. 7536 Ga Mi is very large in area, hence 04 blocks were carved out as Khand No. 01, 02, 03 & 04 for practical solution of e-auction leaving 100 meter area as minimum safety distance of the reserve forest on Gatta No. 7536 Gha.


The details of the mining leases in the area concerned have been provided by the Mining Department, Sonbhadra vide its Reference **No.1090/khanij/2022 dated 28.06.2022** with all necessary documents with map of the area has been annexed with this report.

3. That, the Environmental Clearance for the concerned leases namely Khand No.01 and Khand No.03 were issued by the District Level Environmental Assessment Authority, Sonbhadra on 23.10.2018 and thereafter mining leases have been executed and registered in favour of respondents no. 05 and 06 on dated 05.10.2020 and 06.11.2020 respectively which is against the order dated 13.09.2018 passed by this Hon'ble Tribunal by which direction have been issued to MoEF & CC to take appropriate steps to revise the procedure laid down in the notification dated 15.01.2016 and in compliance of which MoEF & CC, Govt. of India issued on dated 12.12.2018 in which the working of District Level Environmental Assessment Authority, Sonbhadra was stopped.
4. That in view of above statutory provisions, it is evident that on 23.10.2018 the District Level Environmental Assessment Authority, Sonbhadra was legally working and the EC Issued to respondent no 5 and 6 is valid as well as in accordance with law.

Briefing the above mentioned facts, it is utmost to tell that these blocks are homogeneous in nature but heterogeneous for purpose of mining looking the topography of the area and capability of bidders interested for mining.


Dr. T.N. Singh
Regional Officer,
UPPCB, Sonbhadra


Umesh Chandra Sharma
Member SEAC,
Lucknow


Ashutosh Kumar Dubey
ADM (NGWRS),
District-Sonbhadra

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

पत्रांक 1090 / खनिज / 2022

दिनांक 28 / 06 / 2022

विषय:-

ओ०ए० नं०-142 / 2022 जयन्त कुमार बनाम MOEF व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया कार्यालय के पत्र संख्या-G 001595/OA/142 दिनांक 15.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में खनन विभाग के सम्बन्धित आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी के पत्र संख्या-111/खनिज/2018 दिनांक 23.04.2018 द्वारा जनपद सोनभद्र ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के गाटा संख्या-5593, 4949, 4478 एवं 7536 से सम्बन्धित मिलजुमला क्षेत्रों/भू खण्डों में उपलब्ध पत्थर एवं उसकी मात्रा के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक द्वारा संयुक्त आख्या अपने पत्र संख्या-267/खनिज/2018-19 दिनांक 23.05.2018 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें गाटा संख्या-7536 के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार गाटा संख्या-7536 में 04 खण्ड बनाये गये थे, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. खण्ड 01 (गाटा सं० 7536)

यह खण्ड 24°27'45.90" से 24°27'54.94" लैटीट्यूड एवं 83°01'57.00" से 83°02'10.77" लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक अबन्दन्ट खनन क्षेत्र है जिसमें पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण यहां की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है, जिसके कारण खण्ड के दक्षिण दिशा में लगभग 30 मीटर का वर्टिकल क्लिफ बन गया है। खण्ड के उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 0.3 हे० क्षेत्र जलमग्न है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल संभावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 6,93,667 घन मीटर है।

2. खण्ड 02 (गाटा सं० 7536)

यह खण्ड 24°27'39.60" से 24°27'46.28" लैटीट्यूड एवं 83°02'03.04" से 83°02'15.82" लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। इस खण्ड के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व दिशा की ओर पूर्व में कुछ खनन कार्य किया गया है। जिसके कारण खण्ड का अधिकांश भाग 50 मीटर से 60 मीटर ऊंचा पहाड़ के रूप में अवस्थित है। इस डोलोमिटीक पहाड़ में ओवर बर्डन लगभग 0.50 मीटर से 01 मीटर है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल संभावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 11,22,158 घन मीटर है।

3. खण्ड 03 (गाटा सं० 7536)

यह खण्ड 24°27'34.68" से 24°27'43.62" लैटीट्यूड एवं 83°02'07.25" से 83°02'18.08" लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। उपरोक्त खण्ड में पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है जिसके कारण खण्ड के उत्तर में खदान की सतह से लगभग 30 मीटर से 40 मीटर वर्टिकल क्लिफ बन गया है। सतह से खदान की गहराई लगभग 20 मीटर है। यह एक डोलो स्टोन का अबन्दन्ट खनन क्षेत्र है। खण्ड के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में 0.20 हे० का भू-भाग जलमग्न है, जिसकी गहराई लगभग 5 मीटर है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल सम्भावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 7,68,069 घन मीटर है।

4. खण्ड 04 (गाटा सं0 7536)

यह खण्ड 24°27'34.58" से 24°27'43.47" लैटीट्यूड एवं 83°02'13.15" से 83°02'24.16" लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक 10 मीटर से 15 मीटर गहरा अवन्दन्त खनन क्षेत्र है जिसमें डोलो स्टोन की चट्टान स्थित है। पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण यहाँ की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है, जिसके कारण लगभग 10 मीटर से 12 मीटर ऊंचा वर्टिकल क्लिप बन गया है। खण्ड के दक्षिण दिशा में 0.60 हे0 क्षेत्र जलमग्न है, जिसकी गहराई लगभग 50 से0मी0 से 01 मीटर तक पाई गयी। खनन योग्य कुल संभावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 6,69,724 घन मीटर है।


प्रश्नगत क्षेत्र खण्ड संख्या-1 हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के पत्र संख्या-3790/ओबरा/15-अना0 दिनांक ओबरा 04.05.2018 एवं खण्ड संख्या-3 हेतु पत्रांक-3792/ओबरा/15-अना0 दिनांक ओबरा 04.05.2018 द्वारा वन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है एवं क्षेत्रों के टोपोग्राफी को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारिक संगत खण्ड एवं खनन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3236/86-2017-57(सा0)/2017 दिनांक 12.12.2017 द्वारा उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय पत्रांक-607/खनिज/ई-टेण्डर/2018 दिनांक 01.06.2018 द्वारा ईमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी/बोल्डर के क्षेत्रों को विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये। ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त सर्वोत्तम बोली के आधार पर खण्ड संख्या-1 हेतु मै0 साई राम इण्टर प्राइजेज पा0-श्री चन्द्र भूषण गुप्ता निवासी-ओबरा, सोनभद्र के पक्ष में पत्रांक-1291/खनिज/2018 दिनांक 20.08.2018 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया। इसी प्रकार खण्ड संख्या-3 हेतु सी0एस0 इन्फ्राकन्सट्रक्शन प्रा0लि0 मैनेजिंग डायरेक्टर-श्रीमती पुष्पा सिंह निवासी-खनवार, बलिया के पक्ष में पत्रांक-1290/खनिज/2018 दिनांक 20.08.2018 द्वारा आशय पत्र (LOI) निर्गत किया गया।

उ0प्र0 उप खनिज(परिहार) नियमावली, 1963 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त खनन पट्टा क्षेत्रों हेतु खनन योजना बनवाया गया, जिसे निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 11.10.2018 द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ एवं जिला स्तरीय पर्यावरण संघात (DEIAA), सोनभद्र द्वारा खण्ड संख्या-1 हेतु पत्र संख्या-15/Parya/ DEIAA/ SBR/ 2018 दिनांक 23.10.2018 एवं खण्ड संख्या-3 हेतु पत्र संख्या-16/Parya/ DEIAA/ SBR/ 2018 दिनांक 23.10.2018 द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रश्नगत दोनो क्षेत्रों का क्रमशः दिनांक 05.10.2020 एवं दिनांक 06.11.2020 को खनन पट्टा विलेख का निष्पादन हुआ है, जिसमें पट्टे की अवधि क्रमशः दिनांक 05.10.2020 से दिनांक 04.10.2030 तक एवं दिनांक 06.11.2020 से दिनांक 05.11.2030 तक है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 13.09.2018 एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन दिनांक 12.12.2018 के उपरान्त जिला स्तरीय पर्यावरण संघात (DEIAA), सोनभद्र द्वारा कोई पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

अतः आख्या सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्नक-1. जिलाधिकारी, सोनभद्र को प्रेषित पत्र
दिनांक 23.05.2018
2. भू-वैज्ञानिक की आख्या दिनांक 23.05.2018
 3. विज्ञप्ति दिनांक 01.06.2018
 4. जिला स्तरीय पर्यावरण संघात के पत्र
दिनांक 23.10.2018
 5. आशय पत्र दिनांक 20.08.2018
 6. खनन पट्टा क्षेत्रों का मानचित्र।

भवदीय,

(आशीष कुमार)
ज्येष्ठ खान अधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

जनपद सोनभद्र।

पत्रांक:—267...../खनिज/2018-19

दिनांक 23/05/2018

विषय: ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के वन भूमि में सम्बंधित मिनजुमला भूखण्डों के सीमांकन के पश्चात प्रस्तावित भूखण्डों के परीक्षण के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया पत्र सं० 111/खनिज/2018 दिनांक 23/04/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जनपद सोनभद्र के ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के गाटा सं० 5593, 4949, 4478 एवं 7536 से सम्बंधित मिनजुमला क्षेत्रों/भूखण्डों में उपलब्ध पत्थर एवं उसकी मात्रा के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे तथा यह भी अवगत कराना था कि उक्त क्षेत्र/खण्ड 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उपरोक्त के अनुक्रम में खण्डों की भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खण्डवार परीक्षण कर जाँच आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

भवदीय,

[Signature]
23/05/18

(डा० राजेश कुमार सिंह)

भूवैज्ञानिक/प्रभारी अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र

SrMO

23/05/18

जिलाधिकारी
सोनभद्र

श्री नरेन्द्र कुमार
श्री बाबू श्री पंचमिषट्ट प्रभारी
वास्तुन
24/5/18
SrMO

जॉच आख्या

जिलाधिकारी, जनपद सोनभद्र।

महोदय,

कृपया पत्र सं० 111/खनिज/2018 दिनांक 23/04/2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जनपद सोनभद्र के ग्राम विल्ली मारकुण्डी के गाटा सं० 5593, 4949, 4478 एवं 7536 से सम्बन्धित मिनजुमला क्षेत्रों/भूखण्डों में उपलब्ध पत्थर एवं उसकी मात्रा के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे तथा यह भी अवगत कराना था कि उक्त क्षेत्र/खण्ड 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों का क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र से प्राप्त अभिलेखों यथा खण्डों को दर्शाते हुए खसरा मानचित्र, के०एम०एल० फाईल तथा खण्डों के जी०पी०एस० कोआर्डिनेट प्राप्त कर अध्ययन किया गया तथा मौके पर जाकर क्वैरी कार्यालय के श्री अनन्त कुमार सिंह, खान अधिकारी, श्री जी० के० दत्ता, खान निरीक्षक, श्री योगेश शुक्ला, सर्वेक्षक तथा श्री लक्ष्मी कान्त यादव, मानचित्रकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों का स्थलिय निरीक्षण किया गया।

संदर्भित क्षेत्र की चट्टानें लोवर विन्ध्यन गुप से सम्बन्धित है। क्षेत्र में डोलो स्टोन की चट्टान उपस्थित है। ये चट्टानें सामान्यतः उत्तर दिशा की ओर 8° से 10° डीप कर रही है तथा ये डार्क ग्रे से लाइट ग्रे रंग की मैसीव हार्ड एवं कम्पैक्ट नेचर की है। यह क्षेत्र रॉकी टिरेन का है जिसमें ग्राउन्ड वाटर का लेबल सामान्यतः गहराई पर मिलने की सम्भावना होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में जल चट्टानों में उपस्थित क्रैक्स, फ्रैक्चर एवं रसायनिक अपक्षय से उत्पन्न कैविटी में होते हैं। क्षेत्र/खण्डों की आख्या खण्डवार निम्नवत् है—

खण्ड 01 (गाटा सं० 7536)

यह खण्ड 24°27'45.90" से 24°27'54.94" लैटीट्यूड एवं 83°01'57.00" से 83°02'10.77" लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है जिसमें पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण यहाँ की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है जिसके कारण खण्ड के दक्षिण दिशा में लगभग 30 मीटर का वर्टिकल क्लिफ बन गया है। खण्ड के उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 0.3 हे० क्षेत्र जलमग्न है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल संभावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 6,93,667 घन मीटर है।

खण्ड 02 (गाटा सं0 7536)

यह खण्ड $24^{\circ}27'39.60''$ से $24^{\circ}27'46.28''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}02'03.04''$ से $83^{\circ}02'15.82''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। इस खण्ड के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व दिशा की ओर पूर्व में कुछ खनन कार्य किया गया है। जिसके कारण खण्ड का अधिकांश भाग 50 मीटर से 60 मीटर ऊंचा पहाड़ के रूप में अवस्थित है। इस डोलोमिटीक पहाड़ में ओबर बर्डन लगभग 0.50 मीटर से 1 मीटर है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल संभावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 11,22,158 घन मीटर है।

खण्ड 03 (गाटा सं0 7536)

यह खण्ड $24^{\circ}27'34.68''$ से $24^{\circ}27'43.62''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}02'07.25''$ से $83^{\circ}02'18.08''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। उपरोक्त खण्ड में पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है। जिसके कारण खण्ड के उत्तर में खदान की सतह से लगभग 30 मीटर से 40 मीटर वर्टिकल क्लिफ बन गया है। सतह से खदान की गहराई लगभग 20 मीटर है। यह एक डोलो स्टोन का अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है। खण्ड के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में 0.20 हे0 का भू-भाग जलमग्न है, जिसकी गहराई लगभग 5 मीटर है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल सम्भावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 7,68,069 घन मीटर है।

खण्ड 04 (गाटा सं0 7536)

यह खण्ड $24^{\circ}27'34.58''$ से $24^{\circ}27'43.47''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}02'13.15''$ से $83^{\circ}02'24.16''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक 10 मीटर से 15 मीटर गहरा अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है जिसमें डोलो स्टोन की चट्टान स्थित है। पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण यहाँ की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है, जिसके कारण लगभग 10 मीटर से 12 मीटर ऊंचा वर्टिकल क्लिफ बन गया है। खण्ड के दक्षिण दिशा में 0.60 हे0 क्षेत्र जलमग्न है, जिसकी गहराई लगभग 50 से0 मी0 से 1 मीटर तक पाई गयी। खनन योग्य कुल संभावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 6,69,724 घन मीटर है।

खण्ड 05 (गाटा सं0 4478)

यह खण्ड $24^{\circ}28'16.26''$ से $24^{\circ}28'22.14''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}01'13.23''$ से $83^{\circ}01'20.35''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक डोलो स्टोन का अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है। उपरोक्त खण्ड में पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी के साथ लगभग 40 मीटर से 60 मीटर गहरी हो गयी है जो कि लगभग वर्टिकल क्लिफ की तरह है, जिसके कारण सिस्टेमैटिक खनन कार्य किया जाना संभव नहीं है। यहाँ पर खनन योग्य उपखनिज की उपलब्धता नहीं है,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

किन्तु भविष्य में इसके निकटवर्ति खनन पट्टो की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त उन सभी रिक्त क्षेत्रों को इस क्षेत्र के साथ मिला कर एक नया खण्ड बनाया जा सकता है।

खण्ड 06 (गाटा सं0 4949)

यह खण्ड $24^{\circ}28'37.51''$ से $24^{\circ}28'41.70''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}00'48.40''$ से $83^{\circ}00'57.36''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक डोलो स्टोन का अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है। उपरोक्त खण्ड में पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी के साथ लगभग 50 मीटर से 55 मीटर गहरी हो गयी है जो कि लगभग वर्टिकल क्लिफ की तरह है, जिसके कारण सिस्टेमैटिक खनन कार्य किया जाना संभव नहीं है। इस खण्ड का 0.80 हे0 क्षेत्र जलमग्न है जिसकी गहराई लगभग 5 मीटर है। यहा पर खनन योग्य उपखनिज उपलब्ध नहीं है।

खण्ड 07 (गाटा सं0 4949)

यह खण्ड $24^{\circ}28'31.38''$ से $24^{\circ}28'37.63''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}00'49.98''$ से $83^{\circ}00'57.24''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक डोलो स्टोन का अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है। उपरोक्त खण्ड में पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी के साथ लगभग 45 मीटर से 50 मीटर गहरी हो गयी है जो कि लगभग वर्टिकल क्लिफ की तरह है, जिसके कारण सिस्टेमैटिक खनन कार्य किया जाना संभव नहीं है। यहा पर खनन योग्य उपखनिज की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

खण्ड 08 (गाटा सं0 5593)

यह खण्ड $24^{\circ}29'13.31''$ से $24^{\circ}29'21.51''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}00'09.89''$ से $83^{\circ}00'19.31''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। उपरोक्त खण्ड में पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण क्षेत्र की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है। यह एक अबन्डन्ट खनन क्षेत्र है जिसकी गहराई लगभग 10 मीटर से 15 मीटर है। इस खण्ड में पहाड की ऊचाई 25 मीटर से 30 मीटर तक है। जिसमे पूर्व में हुए खनन कार्य के कारण पहाड का उपरी हिस्सा क्लिफ बनाते हुए नोकिला हो गया है। यहा पर ओवरबर्डन लगभग 1 मीटर से 2 मीटर तक है। उपस्थित चट्टान डोलो स्टोन की है। इस खण्ड मे खनन योग्य कुल संभावित उप खनिज की आंकलित मात्रा लगभग 8,24,002 घन मीटर है। प्रस्तावित खण्ड से सटा हुआ दक्षिण दिशा में 0.2 हे0 क्षेत्र जलमग्न है, जिसकी गहराई लगभग 3 मीटर है।





खण्ड 09 (गाटा सं० 5593)

यह खण्ड $24^{\circ}29'11.74''$ से $24^{\circ}29'20.05''$ लैटीट्यूड एवं $83^{\circ}00'17.69''$ से $83^{\circ}00'26.10''$ लांगीट्यूड के मध्य स्थित है। यह एक अवन्डन्ट खनन क्षेत्र है जिसमें पूर्व में हुए अनसिस्टेमैटिक खनन कार्य के कारण यहाँ की टोपोग्राफी रगेड एवं अनडुलेटरी हो गयी है जिसकी गहराई लगभग 10 मीटर से 15 मीटर है। इस खण्ड में पहाड़ की ऊँचाई 25 मीटर से 30 मीटर तक है, जिसमें पूर्व में हुए खनन कार्य के कारण पहाड़ का उपरी हिस्सा विलफ बनाते हुए नोकिला हो गया है। यहाँ पर ओवरबर्डन लगभग 1 मीटर से 2 मीटर तक है। उपस्थित चट्टान डोलो स्टोन की है। इस खण्ड में खनन योग्य कुल सम्भावित उपखनिज की आंकलित मात्रा लगभग 9,29,323 घन मीटर है।

उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में कुल सम्भावित उपखनिज की मात्रा की गणना हेतु खदान के सतह से लगभग 10 मीटर से 30 मीटर की गहराई ली गयी है। ग्राउन्ड वाटर लेबल के स्तर पर तथा चट्टान की गुणवत्ता के आधार पर उपखनिज की मात्रा गहराई के साथ अधिक अथवा कम भी हो सकती है। खनन संक्रिया द्वारा किसी भी दशा में ग्राउन्ड वाटर लेबल को इंटरसेक्ट करना उचित नहीं होगा। कुछ खण्डों में जल जमाव पाया गया जो कि वर्षा द्वारा अथवा निकट के बंद खदानों से सिपेज के द्वारा एकत्रित हुआ प्रतीत होता है। उपरोक्त खण्डों में सम्भवतः डोलो स्टोन की चट्टान होने का अनुमान है। सभी खण्डों से चट्टान का नमूना लेकर रसायनिक विश्लेषण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ में स्थित रसायनिक प्रयोगशाला में भेजा गया है। विश्लेषित नमूनों का परिणाम आने पर क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र को परिणाम उपलब्ध करा दिया जायेगा। आपके द्वारा चाही गई खदान की आयु, वार्षिक प्रोडक्शन, ग्राउड वाटर लेबल के व्यवहार एवं चट्टान के प्रकार पर निर्भर करेगा।

जाँच आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।


(मोहम्मद दारुद असारी)

सहायक भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
लखनऊ


23/05/18

(डा० राजेश कुमार सिंह)
भूवैज्ञानिक/प्रभारी अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 607 / खनिज / ई-टेण्डर / 2018

दिनांक 01/06/2018

ई-निविदा सह ई नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-3236/86-2017 57 (सा)/2017 दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में जनपद-सोनभद्र में इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर के रिक्त क्षेत्रों को उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 यथा संशोधित वर्ष 2017 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E Tender cum E Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने हेतु निम्नवत् उपलब्ध घोषित किया जाता है:-

क्र० सं०	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण					नियमावली, 1963 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु० प्रति घन मी०)	10,000 घन मी० प्रति हे० प्रतिवर्ष के आधार पर खनन योग्य उपखनिज की मात्रा (कालम 7 में अंकित क्षेत्रफल से गुणा करने पर उपलब्ध मात्रा घन मी० में)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी रूपयों में (कालम 9 में अंकित घन मी० प्रतिवर्ष को कालम 8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल घनराशि)	अर्नस्ट मनी (कालम 10 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
		तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर	रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	7536ग मि०	01	4.970	160.00	49,700	79,52,000	19,88,000
2.	इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर	रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	7536ग मि०	02	4.000	160.00	40,000	64,00,000	16,00,000
3.	इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर	रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	7536ग मि०	03	4.000	160.00	40,000	64,00,000	16,00,000
4.	इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर	रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	7536ग मि०	04	4.000	160.00	40,000	64,00,000	16,00,000
5.	इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर	रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	5593क	08	4.230	160.00	42,300	67,68,000	16,92,000
6.	इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्टर	रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	5593क	09	4.000	160.00	40,000	64,00,000	16,00,000

- उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित वर्ष 2017 के अध्याय-4 के नियम-23 के उपनियम (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रक्रिया के माध्यम से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए परिहार पर दिये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-..606./खनिज/ई-टेण्डर /2018 दिनांक 01/06/2018 द्वारा घोषणा की गयी है।
- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा इमारती पत्थर उपखनिज के खनन पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टा निष्पादन की तिथि से खनन पट्टा प्रारम्भ होगा तथा पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से अनुमन्य होगी।



.....2....

3. ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घन मी० के लिए दी जायेगी, जो उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर आधार मूल्य से कम नहीं होगी। इससे कम बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जायेगी। जहाँ क्षेत्र में एक से अधिक उपखनिज उपलब्ध हो वहाँ ऐसे उपखनिज, जिसकी रायल्टी सर्वाधिक हो, को आधार मूल्य माना जायेगा। 10,000 घन मीटर प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष को आधार मानकर प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मीटर) को 10,000 घन मीटर से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि की जायेगी।
4. ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई-निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (revise) नहीं किया जा सकेगा। ई-निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुये द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसके देखते हुये बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
5. किसी क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना 10,000 घनमीटर को प्रस्तर-3 में उल्लिखित उपखनिज की रायल्टी दर (आधार मूल्य) से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. क्षेत्रवार प्री-बिड अर्नेस्ट मनी, उपरिलिखित तालिका में क्षेत्र के सम्मुख कॉलम संख्या-11 में दर्शायी गयी है, के अनुसार होगी।
7. एम०एस०टी०सी०लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम०एस०टी०सी० के ई-आक्सन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
8. इच्छुक आवेदकों के लिये ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम०एस०टी०सी० के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिये बिड में भाग ले सकेगा, परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग-अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में रू० 15,000 (रू० पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
10. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम०एस०टी०






(3)

सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा, जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजी गयी सूचना ई मेल प्राप्त होगी, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को ऑनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित रू0 1,180 (रू0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन देय होने के आधार पर भुगतान करना होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।

11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र स्कैन कर एम0एस0 टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-

- (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
- (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ-पत्र कि कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।
- (3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण-पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है, वहाँ इस आशय का शपथ-पत्र की प्रति।
- (6) नियम-23 (2) (ख) के अन्तर्गत यदि कोई पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ है, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसे विज्ञापित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र, पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में पूर्व पट्टा क्षेत्र का विवरण सहित विज्ञापित क्षेत्र का पूर्ण विवरण तथा विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र अपलोड न करने की दशा में बोलीदाता पर नियमावली, 1963 के नियम-23(2)(ख) प्राविधान लागू नहीं होंगे।

12. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली- 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हो।



....4....

(4)

नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-

- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
- (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो।

13.(1) रिक्त क्षेत्रों का विवरण, ऑन लाइन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि एवं शर्तों का विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है। वेब पोर्टल पर प्रदर्शित विज्ञप्ति सम्बन्धी सूचना निविदाकार द्वारा पढ़ी हुई मानते हुए उनकी सहमति समझी जायेगी।

- (2) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
- (3) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी, जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
- (4) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
- (5) अधिकतम 03 खनन पट्टे अथवा 25 हे0 से अधिक के क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/ कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 25 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के 03 क्षेत्र के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे, परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 03 खनन पट्टे अथवा 25 हे0 से अधिक क्षेत्रफल का खनन पट्टा होने की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

14. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।


15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-



.....5...

- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई-निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। ई-निविदा हेतु बिड की धनराशि क्षेत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम बोली से कम नहीं होगी। द्वितीय चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई-नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार ऑनलाईन बोली में भाग लेंगे।
- (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-
- (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में दी गयी धनराशि निर्धारित न्यूनतम बोली से 200 प्रतिशत से अधिक है तथा निविदादाता शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (ख) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (ऑफर) 200 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।
- (ग) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होता है तो निविदाकार को क्षेत्र के लिए निर्धारित ई-नीलामी की अवधि में अपना बिड बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- (घ) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (ङ) यदि पाँच से अधिक बिड/ऑफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। यदि पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसने 11(6) के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो तथा ई-निविदा में भाग लिया हो, परन्तु सर्वाधिक पाँच बोलीदाता की श्रेणी में नहीं आते हैं तब भी वह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे।
- प्रतिबन्ध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ, को ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्यदिवस के भीतर संबंधित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक (Territorial) अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर नियम-23(2) के शर्तों के अधीन दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक जिसने पंजीकरण के समय बिन्दु सं०-11 (6) के अनुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत





(6)

किया हो तथा द्वितीय चरण की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया हो, क्षेत्र विशेष की नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम बोली को स्वतः संज्ञान में लेकर उससे अधिक आफर का पत्र अपने हस्ताक्षर सहित स्कैन कर अपने रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी से ई नीलामी की समाप्ति की तिथि से अगले कार्यदिवस के सायं 05:00 बजे तक जिलाधिकारी के ई-मेल आईडी एवं एम0एस0टी0सी के मेल आईडी पर प्रस्तुत करने का विकल्प होगा, अन्यथा की दशा में पूर्ववर्ती पट्टाधारक के आधार पर उपरोक्त प्राथमिकता का उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 यथासंशोधित के नियम-23(2)ख के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट तीन कार्य दिवसों में उक्त के संबंध में निर्णय लेकर संबंधित पूर्व पट्टाधारक, एम0एस0टी0सी एवं नीलामी में भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता को सूचित करेंगे।

- (3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग)(घ)(ङ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की अवधि के भीतर इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑन लाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑन लाईन ही दी जा सकती है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अंतिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई निविदा सह ई नीलामी की काल योजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक 02.06.2018
प्री-बीड अर्नेस्ट मनी जमा करने की अवधि	दिनांक 08.06.2018 से दिनांक 03.07.2018 तक
प्रथम चरण ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	दिनांक 04.07.2018 के पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 09.07.2018 के सायं 5.00 बजे तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 10.07.2018 से दिनांक 11.07.2018 तक
द्वितीय चरण ई-नीलामी की अवधि	दिनांक 12.07.2018 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक क्रमांक-2 पर विज्ञापित क्षेत्र।





.....7...

	<p>दिनांक 13.07.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक क्रमांक-3 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक क्रमांक-4 पर विज्ञापित क्षेत्र।</p> <p>दिनांक 16.07.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक क्रमांक-5 पर विज्ञापित क्षेत्र एवं अपराह्न 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक क्रमांक-6 पर विज्ञापित क्षेत्र।</p>
--	---

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन:-

- (क) प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अधिकतम निविदा धनराशि (बिड एमाउण्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।
- (ख) द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. पट्टे का दिया जाना :- नियमावली, 1963 के नियम-28 के प्राविधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-15(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे, जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।
17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण-पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है, तो लेटर ऑफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।
18. लेटर ऑफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-
- (1) 10,000 घन मी0 प्रति हे0 प्रति वर्ष को आधार मानकर प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को 10,000 घन मी0 से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि में वृद्धि होगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन



करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्तें एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली- 1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।
 - (4) पट्टाधारक नियम- 17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम- 35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
 - (5) चयनित आवेदक नियम- 34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपटित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
 - (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम- 34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 - (7) लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव किया जाना अनिवार्य होगा।
19. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :
- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 20 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तदनुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
 - (2) लेटर ऑफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई-पेमेन्ट गेटवे पर आर0टी0जी0एस/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित की ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
 - (3) प्रथम वर्ष के लिये शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।



उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. अन्य शर्तें :-

- (1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में उपखनिज की उपलब्धता एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर विडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खननपट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा, जो पट्टाविलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति के कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- (4) पट्टाधारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) के नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खननपट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम- 66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली- 1963 के नियम- 59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार खनन संक्रिया किया जायेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) ई-निविदा सह ई-नीलामी की बिड/बोली को स्वीकार करने अथवा किसी क्षेत्र के उच्चतम बिड/बोली को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी को निहित होगा।



- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) पट्टेधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, वन अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तों, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र खनन योजना आदि की शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
- (13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
- (14) पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टा तक परिवहन मार्ग स्वयं के व्यय से बनायेगा।
- (15) पट्टा क्षेत्र के आस-पास अवैध खनन होने के दशा में पट्टाधारक द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त की सूचना तत्काल देगा, अन्यथा की दशा में अवैध खनन में पट्टाधारक की संलिप्तता मानी जायेगी एवं तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(अमित कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,

१५ सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
4. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लि0, जी-25/26 तेज प्लाजा, 1, टी0एन0 सिंह रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0, लखनऊ।
6. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त का प्रकाशन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निः शुल्क कराने का कष्ट करें।

अमृत. J K

०१/०६/१८
जिलाधिकारी,
१५ सोनभद्र।
१८

District Level Environment Impact Assessment Authority, Sonbhadra

Office of the District Magistrate, Sonbhadra

Fax: 05444-224566 E-mail: deiaasonbhadra@gmail.com

Ref. No. 15 /Parya/DEIAA/SBR/2018

Date: 23 अक्टूबर, 2018

To,

M/s Sai Ram Enterprises
Partner – Shri Chandra Bhushan Gupta
Add. – 2091, Near Ayappa Mandir, Sector – 8, Obra,
Tahsil Robertsganj, District – Sonbhadra U.P.



Sub: Regarding Environmental Clearance for proposed Dolostone Mining Project at Gata No. 7536Ga Mi (Khand-1), Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, Sonbhadra, U.P. (Leased Area-4.970 Hectare)

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 12/10/2018 addressed to the Chairman/Secretary, DEIAA Sonbhadra. The District Level Committee considered the matter in its Thirteenth meeting held on dated 15/10/2018. A presentation was made by the consultant Shri Indra Singh R.Q.P. Lucknow along with the representative of the project proponent, through documents, presentation made during meeting dated 15/10/2018 and reply to the queries raised by the DEIAA SBR, has informed to DEIAA SBR that:

1. The environmental clearance is sought for Dolo Stone Mining project at Gata No. 7536Ga Mi (Khand-1) Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh (Leased area-4.970 Hectare).
2. The present proposal is related to mining for a period of 20 years from the dated of execution of lease deed.
3. 49,700 Cubic meter Dolo Stone is proposed by committee to mine annually by said lease area according to approved mining plan and validity of mining plan is valid up to 05 years from the date of issuing of Environmental Clearance.
4. The water requirement will be limited to 1.00 KLD from Tankers for drinking, 1.50 KLD for sprinkling on haulage route for dust suppression and 0.50 KLD for Plantation and others.
5. During operation the maximum no. of workers will not be more than 32.
6. The Project activity are not covered under general conditions, because its belong to B2 Category, under MoEF notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016.
7. The mining will be opencast type and carried out semi mechanized.
8. The ultimate depth of mining will be restricted as per mining plan.
9. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
10. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining project specified in EIA Notification 14/09/2006.
11. The Project proposal falls under B2 Category of MoEF Notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016, Based on the above discussion, the District Level Environment Impact Assessment Authority (Thirteenth meetings held on dated 15/10/2018) has

 ~ 1 ~

decided to grant the Environmental Clearance to this project proposal for a period of five years from the date of execution of lease deed, subject to effective implementation of the following general and specific conditions:

General Conditions

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Any addition of the mining area, change of Khasra numbers, enhancement of capacity, change in mining technology, modernization and scope of working shall again required prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
3. Mining will be carried out as per the approved mining plan. In case of any violation of mining plan, the Environmental Clearance given by DEIAA will stand cancelled.
4. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.
5. Measures shall be taken for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc. shall be provided with ear plugs/muffs and health records of the workers shall be maintained.
6. Personal working in areas shall be provided with protective respiratory devices like mask and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
7. Special measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities.
8. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
9. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable in the matter.
10. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the DEIAA, SBR. on 1st June and 1st December of each calendar year.
11. The DEIAA may alter/modify the above conditions or stipulate any further conditions in the interest of environment protection.
12. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

Specific Conditions

1. Norms of Transport Department/PWD shall be strictly followed during transportation of minerals.
2. haul road shall be made motorable.
3. Corporate Social Responsibility (CSR) plan along with budgetary provision of 5% of the total cost shall be prepared and approved by Board of Directors of the



company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority along with list of beneficiaries with their mobile nos./address.

4. This environmental Clearance does not create or verify any claim of applicant on the proposed site/activity.
5. This environmental clearance shall be subject to valid lease in favour of project proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does not have a valid lease, this environmental clearance shall automatically become null and void.
6. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.
7. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Agriculture Department. Herbs and shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. The company shall involve local people for plantation Programme. Details of year wise afforestation programme including rehabilitation of mined out area shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow and DEIAA SBR every year.
9. Blast vibration study shall be conducted and a observation report submitted to the the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow and UPPCB within six months. The report shall also include measures for prevention of blasting associated impact on nearby houses and agricultural fields.
10. Controlled blasting techniques with sequential blasting shall be adopted. The blasting shall be carried out in the day time only.
11. Appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mining workers has to be ensured at the mining site.
12. Maintenance of village roads used for transportation of minerals are to be done by the company regularly at its own expenses. The roads shall be block topped.
13. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge the ground water source.
14. Status of implementation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, UP Pollution Control Board and DEIAA SBR within six months and thereafter every year from the next consequent year.
15. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile matting or other suitable material, and thick plantation of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.
16. Trenches/garland drains shall be constructed at foot of dumps and coco filters installed at regular intervals to arrest silt from being carried to water bodies. Adequate number of Check Dams and Gully Plugs shall be constructed across seasonal/perennial nallahs, if any flowing through the ML area and silts arrested. De-silting at regular intervals shall be carried out.
17. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump and sump capacity shall be designed keeping 50%



safety margin over and above peak sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper setting of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals.

18. Ground and surface water, if any in and near the core zone (within 5.0 km of the lease) shall be regularly monitored for contamination and depletion due to mining activity and records maintained. The monitoring data shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly. Further, monitoring points shall be located between the mine and drainage in the direction of flow of ground water shall be set up and records maintained.
19. Fugitive dust generation shall be controlled. Fugitive dust emission shall be regularly monitored at locations of nearest human habitation (including schools and other public amenities located nearest to sources of dust generation as applicable) and records submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly.
20. Baseline data for ambient air quality shall be generated and maintained and RSPM level in ambient air in the nearby human habitation (villages) shall also be monitored along with other parameters.
21. Transportation of minerals shall be done by covering the trucks with tarpaulin or other suitable mechanism so that no spillage of mineral/dust takes place.
22. Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. Periodic monitoring for exposure to respirable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required.
23. The project proponent will ensure for providing employment to local people as per requirement, necessary protection measures around the mine pit and waste dump and garland drain around the mine pit and waste dump.
24. Top soil/solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for utilization later for reclamation and shall not be stacked along with over burden.
25. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site (s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 20 m, each stage shall preferably be of maximum 10 m and overall slope of the dump shall not exceed 35°. The OB dump shall be backfilled. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off.



26. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self sustaining. Compliance status shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR on six monthly basis.
27. Slope of the mining bench and ultimate pit limit shall be as per the mining scheme approved by Director of Geology and Mining.
28. The waste water from the mine shall be treated to conform to the prescribed standards before discharging in to the natural stream. The discharged water from the Tailing Dam, if any shall be regularly monitored and report submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, Gol, Lucknow, Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board.
29. Hydro geological study of the area shall be reviewed by the project proponent annually. In case adverse effect on ground water quality and quantity is observed mining shall be stopped and resumed only after mitigating steps to contain any adverse impact on ground water is implemented.
30. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of minerals and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments. The Vehicles transporting minerals shall be covered with a tarapaulin or other suitable enclosures so that no dust particles/fine matters escape during the course of transportation. No overloading of minerals for transportation shall be committed. The trucks transporting minerals shall not pass through wild life sanctuary, if any in the study area.
31. Project proponent shall explore the possibility of using solar energy where ever possible.
32. Commitment towards CSR has to be followed strictly.
33. Regular health check-up record of the mine workers has to be maintained at site in a proper register. It should be made available for inspection whenever asked.
34. Project Proponent has to strictly follow the directions/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.
35. The blasting and the use of HEMM will be done only after getting the permission from the D.G.M.S.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership of the proposed site, this permission shall automatically deem to be cancelled.

The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The Project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance.



The DEIAA SBR/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if any conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of DEIAA SBR/MoEF. DEIAA SBR may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.


This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533 (E) dated 14-09-2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(Shadab Ashlam)
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonbhadra, U.P.
dated as above.

No. /Parya/DEIAA/SBR/...../2018

Copy for information and necessary action to:

- 1- Director, Environment, Bibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.
- 2- Director, Geology and Mining, Lucknow.
- 3- District Magistrate, Sonbhadra.
- 4- Divisional Forest Officer, Obra Van Prabhag Obra Sonbhadra.
- 5- Additional District Magistrate, Sonbhadra .
- 6- Regional Pollution Control Officer, Sonbhadra.
- 7- District Mining Officer, Sonbhadra.
- 8- NIC Sonbhadra to upload on website.



Shadab Ashlam 23/10/18
(Shadab Ashlam)
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonbhadra, U.P.

District Level Environment Impact Assessment Authority, Sonbhadra

Office of the District Magistrate, Sonbhadra

Fax: 05444-224566 E-mail: deiaasonbhadra@gmail.com

Ref. No. 16 /Parya/DEIAA/SBR/2018

Date : 23 अप्रैल, 2018

To,

M/s C.S. Infraconstruction Ltd.
Managing Director – Smt. Pushpa Singh
Add. – Village & Post Khanwar,
District – Ballia U.P.



Sub: Regarding Environmental Clearance for proposed Dolostone Mining Project at Gata No. 7536Ga Mi (Khand-3), Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, Sonbhadra, U.P. (Leased Area-4.000 Hectare)

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 12/10/2018 addressed to the Chairman/Secretary, DEIAA Sonbhadra. The District Level Committee considered the matter in its Thirteenth meeting held on dated 15/10/2018. A presentation was made by the consultant Shri Indra Singh R.Q.P. Lucknow along with the representative of the project proponent, through documents, presentation made during meeting dated 15/10/2018 and reply to the queries raised by the DEIAA SBR, has informed to DEIAA SBR that:

1. The environmental clearance is sought for Dolo Stone Mining project at Gata No. 7536Ga Mi (Khand-3) Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonbhadra, Uttar Pradesh (Leased area-4.000 Hectare).
2. The present proposal is related to mining for a period of 20 years from the dated of execution of lease deed.
3. 40,000 Cubic meter Dolo Stone is proposed by committee to mine annually by said lease area according to approved mining plan and validity of mining plan is valid up to 05 years from the date of issuing of Environmental Clearance.
4. The water requirement will be limited to 1.00 KLD from Tankers for drinking, 1.50 KLD for sprinkling on haulage route for dust suppression and 0.50 KLD for Plantation and others.
5. During operation the maximum no. of workers will not be more than 33.
6. The Project activity are not covered under general conditions, because its belong to B2 Category, under MoEF notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016.
7. The mining will be opencast type and carried out semi mechanized.
8. The ultimate depth of mining will be restricted as per mining plan.
9. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
10. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining project specified in EIA Notification 14/09/2006.
11. The Project proposal falls under B2 Category of MoEF Notification dated 15/01/2016 and 20/01/2016, Based on the above discussion, the District Level Environment Impact Assessment Authority (Thirteenth meetings held on dated 15/10/2018) has

decided to grant the Environmental Clearance to this project proposal for a period of five years from the date of execution of lease deed, subject to effective implementation of the following general and specific conditions:

General Conditions

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Any addition of the mining area, change of Khasra numbers, enhancement of capacity, change in mining technology, modernization and scope of working shall again required prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
3. Mining will be carried out as per the approved mining plan. In case of any violation of mining plan, the Environmental Clearance given by DEIAA will stand cancelled.
4. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled regularly. Water spraying arrangement on haul roads loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.
5. Measures shall be taken for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc. shall be provided with ear plugs/muffs and health records of the workers shall be maintained.
6. Personal working in areas shall be provided with protective respiratory devices like mask and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
7. Special measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities.
8. A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
9. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies as applicable in the matter.
10. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the DEIAA, SBR. on 1st June and 1st December of each calendar year.
11. The DEIAA may alter/modify the above conditions or stipulate any further conditions in the interest of environment protection.
12. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

Specific Conditions

1. Norms of Transport Department/PWD shall be strictly followed during transportation of minerals.
2. haul road shall be made motorable.
3. Corporate Social Responsibility (CSR) plan along with budgetary provision of 5% of the total cost shall be prepared and approved by Board of Directors of the



- company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority along with list of beneficiaries with their mobile nos./address.
4. This environmental Clearance does not create or verify any claim of applicant on the proposed site/activity.
 5. This environmental clearance shall be subject to valid lease in favour of project proponent for the proposed mining proposals. In case, the project proponent does not have a valid lease, this environmental clearance shall automatically become null and void.
 6. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.
 7. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
 8. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Agriculture Department. Herbs and shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. The company shall involve local people for plantation Programme. Details of year wise afforestation programme including rehabilitation of mined out area shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow and DEIAA SBR every year.
 9. Blast vibration study shall be conducted and a observation report submitted to the the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow and UPPCB within six months. The report shall also include measures for prevention of blasting associated impact on nearby houses and agricultural fields.
 10. Controlled blasting techniques with sequential blasting shall be adopted. The blasting shall be carried out in the day time only.
 11. Appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mining workers has to be ensured at the mining site.
 12. Maintenance of village roads used for transportation of minerals are to be done by the company regularly at its own expenses. The roads shall be block topped.
 13. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge the ground water source.
 14. Status of implementation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, UP Pollution Control Board and DEIAA SBR within six months and thereafter every year from the next consequent year.
 15. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile matting or other suitable material, and thick plantation of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.
 16. Trenches/garland drains shall be constructed at foot of dumps and coco filters installed at regular intervals to arrest silt from being carried to water bodies. Adequate number of Check Dams and Gully Plugs shall be constructed across seasonal/perennial nallahs, if any flowing through the ML area and silts arrested. De-silting at regular intervals shall be carried out.
 17. Garland drain of appropriate size, gradient and length shall be constructed for both mine pit and for waste dump and sump capacity shall be designed keeping 50%

safety margin over and above peak sudden rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the area adjoining the mine site. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper setting of silt material. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals.

18. Ground and surface water, if any in and near the core zone (within 5.0 km of the lease) shall be regularly monitored for contamination and depletion due to mining activity and records maintained. The monitoring data shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly. Further, monitoring points shall be located between the mine and drainage in the direction of flow of ground water shall be set up and records maintained.
19. Fugitive dust generation shall be controlled. Fugitive dust emission shall be regularly monitored at locations of nearest human habitation (including schools and other public amenities located nearest to sources of dust generation as applicable) and records submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR regularly.
20. Baseline data for ambient air quality shall be generated and maintained and RSPM level in ambient air in the nearby human habitation (villages) shall also be monitored along with other parameters.
21. Transportation of minerals shall be done by covering the trucks with tarpaulin or other suitable mechanism so that no spillage of mineral/dust takes place.
22. Occupational health and safety measures for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. Periodic monitoring for exposure to respirable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required.
23. The project proponent will ensure for providing employment to local people as per requirement, necessary protection measures around the mine pit and waste dump and garland drain around the mine pit and waste dump.
24. Top soil/solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for utilization later for reclamation and shall not be stacked along with over burden.
25. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site (s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 20 m, each stage shall preferably be of maximum 10 m and overall slope of the dump shall not exceed 35°. The OB dump shall be backfilled. The OB dumps shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface run off.



26. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self sustaining. Compliance status shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Lucknow, U.P. Pollution Control Board and DEIAA SBR on six monthly basis.
27. Slope of the mining bench and ultimate pit limit shall be as per the mining scheme approved by Director of Geology and Mining.
28. The waste water from the mine shall be treated to conform to the prescribed standards before discharging in to the natural stream. The discharged water from the Tailing Dam, if any shall be regularly monitored and report submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forest, Gol, Lucknow, Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board.
29. Hydro geological study of the area shall be reviewed by the project proponent annually. In case adverse effect on ground water quality and quantity is observed mining shall be stopped and resumed only after mitigating steps to contain any adverse impact on ground water is implemented.
30. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of minerals and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments. The Vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles/fine matters escape during the course of transportation. No overloading of minerals for transportation shall be committed. The trucks transporting minerals shall not pass through wild life sanctuary, if any in the study area.
31. Project proponent shall explore the possibility of using solar energy where ever possible.
32. Commitment towards CSR has to be followed strictly.
33. Regular health check-up record of the mine workers has to be maintained at site in a proper register. It should be made available for inspection whenever asked.
34. Project Proponent has to strictly follow the directions/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. Agencies from time to time.
35. The blasting and the use of HEMM will be done only after getting the permission from the D.G.M.S.

You are also directed to ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership of the proposed site, this permission shall automatically deem to be cancelled.

The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Courts of Law relating to the subject matter.

The Project proponent will have to submit approved plans and proposals incorporating the conditions specified in the Environmental Clearance within 03 months of issuance of this clearance.

The DEIAA SBR/MoEF reserves the right to revoke the environmental clearance, if any conditions stipulated are not implemented to the satisfaction of DEIAA SBR/MoEF. DEIAA SBR may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

This is to request you to take further necessary action in matter as per provision of Gazette Notification No. S.O. 1533 (E) dated 14-09-2006, as amended and send regular compliance reports to the authority as prescribed in the aforesaid notification.

(Shadab Ashlam)
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonbhadra, U.P.
dated as above.

No. /Parya/DEIAA/SBR/...../2018

Copy for information and necessary action to:

- 1- Director, Environment, Bibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow.
- 2- Director, Geology and Mining, Lucknow.
- 3- District Magistrate, Sonbhadra.
- 4- Divisional Forest Officer, Obra Van Prabhag Obra Sonbhadra.
- 5- Additional District Magistrate, Sonbhadra .
- 6- Regional Pollution Control Officer, Sonbhadra.
- 7- District Mining Officer, Sonbhadra.
- 8- NIC Sonbhadra to upload on website.



(Shadab Ashlam)
S.D.M. (Sadar),
Member-Secretary,
DEIAA Sonbhadra, U.P.

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।
(खनिज अनुभाग)

(9)

पत्रांक 129 / खनिज / 2018

दिनांक 20/08/2018

Letter of Intent (आशय पत्र)

साई राम इण्टरप्राइजेज / 109700
पता-20 91 नियर अयप्पा मन्दिर सेक्टर-8,
ओबरा, पिन-231219, जनपद-सोनभद्र।
चन्द्र भूषण गुप्ता मो0नं0-9918378106
ई0मेल आई0डी0 sairamenterprisesbr@gmail.com

शासनादेश संख्या-3236/86-2017 57 (सा)/2017 दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या-607/खनिज/ई-टेण्डर/2018 दिनांक 01.06.2018 द्वारा जनपद सोनभद्र के इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर के 06 क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त घोषित/विज्ञापित किया गया। इस कार्यालय के उक्त विज्ञापित दिनांक 01.06.2018 के अनुक्रम में सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0लि0(भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा सम्पादित ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया के दूसरे चरण (ई-नीलामी) की समाप्ति के उपरान्त आपके द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र के लिए ई-नीलामी की बोली सर्वोच्च पायी गयी:-

क्षेत्र का विवरण:-

क्षेत्र का विवरण				वार्षिक आंकलित खनन योग्य इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर की मात्रा (घन मी0 में)	ई-नीलामी बोली में प्राप्त सर्वोच्च रायल्टी की दर (रु0/घन मी0 में)	प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि (रु0 में)	प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 50 प्रतिशत (जिसमें प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में एवं प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत के रूप में शामिल हों) के समतुल्य धनराशि (रु0 में)
तहसील	ग्राम	आराजी संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8
रावर्दसगंज	बिल्ली मारकुण्डी	7536ग मि0/01	4.970	49,700	3,010.00	14,95,97,000.00	7,47,98,500.00

ई-मेल के माध्यम से एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत अभिलेख प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। तदनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर के उपरोक्त क्षेत्र का नीलामी खनन पट्टा आपके पक्ष में 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत व निष्पादित किये जाने हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

- शर्त:-
1. प्रथम वर्ष के लिए नीलामी पट्टा के देय धनराशि की गणना उस क्षेत्र के लिए विज्ञापित में आंकलित/निर्धारित खनन योग्य इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर की वार्षिक मात्रा (घन मी0) को ई-नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च रायल्टी की दर (रु0 प्रति घन मी0) से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की

CHB

(2)

- जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि में वृद्धि होगी।
2. सफल बोलीदाता/निविदादाता को पट्टे की निर्वन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा को सकल धनराशि का 25 प्रतिशत यानी प्रथम वर्ष के लिए नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का कुल 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रु0 7,47,98,500.00 (सात करोड़ सैंतालिस लाख अन्तानवे हजार पांच सौ रूपये मात्र) जैसा कि उपरोक्त तालिका के कॉलम-8 में अंकित है, एम0एस0टी0सी0 के ई-पेमेन्ट गेटवे पर आर0टी0जी0एस0 /एन0ई0एफ0टी0 द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि जमा करने के पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा की गयी कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
 3. पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली, 1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
 4. पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
 5. सफल आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपटित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
 6. प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 7. लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0(रायल्टी का 2.06 प्रतिशत), जिला खनिज फाउण्डेशन (D.M.F.) (रायल्टी का 10 प्रतिशत) निधि की धनराशि, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण(साडा) से सम्बन्धित शुल्क आदि नियमानुसार जमा करना होगा।
 9. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद 35(ख) के अनुसार ई-नीलामी की सर्वोच्च बोली के आधार पर पट्टाविलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार देय भारतीय स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

[Handwritten signature]

10. प्रश्नगत खनन पट्टा रिट याचिका संख्या-22384/2018 रविन्द्र जायसवाल बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
11. मा० उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि नियमानुसार अन्य आवश्यक औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूर्ण करें तथा पत्र प्राप्ति के दो कार्य दिवस के अन्दर प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू० 7,47,98,500.00 (सात करोड़ सैंतालिस लाख अठानवे हजार पांच सौ रूपये मात्र) में से जमा अर्नेस्ट मनी रू० 19,88,000.00 (उन्नीस लाख अठ्ठासी हजार रूपये मात्र) को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू० 7,28,10,500.00 (सात करोड़ अठ्ठाइस लाख दस हजार पांच सौ रूपये मात्र) को एम०एस०टी०सी० के ई-पेमेन्ट गेटवे पर आर०टी०जी०एस०/एन०ई० एफ०टी० द्वारा जमा कर चालान की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,

सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
5. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लि०, जी-25/26 तेज प्लाजा, 1, टी०एन० सिंह रोड, हजरतगंज, लखनऊ।

19/05/18
जिलाधिकारी
सोनभद्र।

0/2

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र ।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1290 / खनिज / 2018

दिनांक 20/08/2018

Letter of Intent (आशय पत्र)

सी0एस0 इन्फ्राकन्सट्रक्शन लिमि0 / 109909

पता ग्राम व पो0-खनवार,

जनपद-बलिया, पिन-221711

मैनेजिंग डायरेक्टर-श्रीमती पुष्पा सिंह,

ई0मेल आई0डी0 csillucknow@gmail.com

शासनादेश संख्या-3236/86-2017 57 (सा)/2017 दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या-607/खनिज/ई-टेण्डर/2018 दिनांक 01.06.2018 द्वारा जनपद सोनभद्र के इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर के 06 क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त घोषित/विज्ञापित किया गया। इस कार्यालय के उक्त विज्ञापित दिनांक 01.06.2018 के अनुक्रम में सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0लि0(भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा सम्पादित ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया के दूसरे चरण (ई-नीलामी) की समाप्ति के उपरान्त आपके द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र के लिए ई-नीलामी की बोली सर्वोच्च पायी गयी:-

क्षेत्र का विवरण:-

क्षेत्र का विवरण				वार्षिक आंकलित खनन योग्य इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर की मात्रा (घन मी0 में)	ई-नीलामी बोली में प्राप्त सर्वोच्च रायल्टी की दर (रू0/घन मी0 में)	प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि (रू0 में)	प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 50 प्रतिशत (जिसमें प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में एवं प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत के रूप में शामिल हो) के समतुल्य धनराशि (रू0 में)
तहसील	ग्राम	आराजी संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8
रावर्ट्सगंज	बिल्ली मारकुण्डी	7536ग मि0/03	4.000	40,000	3,000.00	12,00,00,000.00	6,00,00,000.00

ई-मेल के माध्यम से एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत अभिलेख प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। तदनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर के उपरोक्त क्षेत्र का नीलामी खनन पट्टा आपके पक्ष में 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत व निष्पादित किये जाने हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. प्रथम वर्ष के लिए नीलामी पट्टा के देय धनराशि की गणना उस क्षेत्र के लिए विज्ञापित में आंकलित/निर्धारित खनन योग्य इमारती पत्थर (डोलो स्टोन) खण्डा गिट्टी, बोल्डर की वार्षिक मात्रा (घन मी0) को ई-नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च रायल्टी की दर (रू0 प्रति घन मी0) से गुणा कर निकाली जायेगी। प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त बोली की दर में अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की

- जायेगी तथा तदनुसार अनुवर्ती वर्षों की नीलामी धनराशि में वृद्धि होगी।
2. सफल बोलीदाता/निविदादाता को पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा को सकल धनराशि का 25 प्रतिशत यानी प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का कुल 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू० 6,00,00,000.00 (छः करोड़ रुपये मात्र) जैसा कि उपरोक्त तालिका के कॉलम-8 में अंकित है, एम०एस०टी०सी० के ई-पेमेन्ट गेटवे पर आर०टी०जी०एस०/एन०ई० एफ०टी० द्वारा लेटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। उक्त धनराशि जमा करने के पूर्व सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा जमा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा प्री-बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा की गयी कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
 3. पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली, 1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
 4. पट्टाधारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
 5. सफल आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
 6. प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
 7. लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 8. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०(रायल्टी का 2.06 प्रतिशत), जिला खनिज फाउण्डेशन (D.M.F.) (रायल्टी का 10 प्रतिशत) निधि की धनराशि, शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण(साडा) से सम्बन्धित शुल्क आदि नियमानुसार जमा करना होगा।
 9. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद 35(ख) के अनुसार ई-नीलामी की सर्वोच्च बोली के आधार पर पट्टाविलेख निष्पादन हेतु नियमानुसार देय भारतीय स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

(3)

10. प्रश्नगत खनन पट्टा रिट याचिका संख्या-22384/2018 रविन्द्र जायसवाल बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।
11. मा० उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि नियमानुसार अन्य आवश्यक औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूर्ण करें तथा पत्र प्राप्ति के दो कार्य दिवस के अन्दर प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रू० 6,00,00,000.00 (छः करोड़ रूपये मात्र) में से जमा अर्नेस्ट मनी रू० 16,00,000.00 (सोलह लाख रूपये मात्र) को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू० 5,84,00,000.00 (पांच करोड़ चौरासी लाख रूपये मात्र) को एम०एस०टी०सी० के ई-पेमेन्ट गेटवे पर आर०टी०जी०एस०/एन०ई० एफ०टी० द्वारा जमा कर चालान की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(अमित कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र।
5. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लि०, जी-25/26 तेज प्लाजा, 1, टी०एन० सिंह रोड, हजरतगंज, लखनऊ।


18/09/18
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

